तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./5636/2004/हनुमानगढ़ हरीराम बनाम अमीलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-9-2024	**एकल–पीठ** **श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य** **<u>उपस्थितः</u>** श्री सोहनपाल सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी श्री सुनील कड़वासरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी –––– **<u>आदेश</u>** यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 17/2003 में पारित निर्णय दिनांक 17–11–2004 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10(ए) सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 29–7–2022 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। 3– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी वीरसिंह पुत्र स्व0 पूर्णराम ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में अपीलार्थी हरीराम पुत्र ख्यालीराम का देहान्त लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुका है किन्तु आज दिनांक तक उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही अपीलार्थी की ओर से नहीं की गई है इसलिए अपील अबेट हो चुकी है। अतः अपील अबेट होने से इसी स्तर पर निरस्त की जावे। 4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी हरीराम की मृत्यु के सम्बन्ध में उन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है न ही उनके वारिसान में से किसी ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./5636/2004/हनुमानगढ़ हरीराम बनाम अमीलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनसे सम्पर्क किया है। 5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 6– प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 (ए) व सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया है कि मूल अपीलार्थी हरीराम पुत्र ख्यालीराम का 10 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भी बताया है कि हरीराम की ओर से किसी ने भी उनसे सम्पर्क नहीं किया जा रहा है। प्रकरण में चूंकि मूल एकल अपीलार्थी हरीराम का ही स्वर्गवास हो चुका है तथा समयावधि में उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से यह अपील अबेट हो चुकी है। अतः अपील अबेट होने से खारिज किये जाने योग्य है। 7– परिणामतः प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 (ए) व सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 29–7–22 स्वीकार किया जाकर अपील अबेट होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। 8– आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावे। आदेश की खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेश कुमार दड़िया)** **सदस्य**	